तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
29/12/25	पत्रावली पेश हुई दावा वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण डिग्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो आदेश सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज॰)

Signature Not Verified

Digitally signed by Prem Raj Meena
Date: 2026.05.01 13:02:17 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
29/12/25	पत्रावली पेश हुई। दावा वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नक्शा में कम होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया। [signature] उपखण्ड अधिकारी करौली (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Prem Raj Meena
Date: 2026.05.01 13:02:17 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करौली (राज0)

पीठासीन अधिकारी प्रेमराज मीना, उपखण्ड अधिकारी (RAS)

मु0न0:—83 / 11 तारीख रजु:—22.9.11

उनवान

ठाकुर राधाकिशनजी वांके मोहल्ला छतपाडा कस्बा करौली तहसील व जिला करौली जरिये व अहतमाम पुजारी व प्रबंधक नरेन्द्र कुमार व जगदीश प्रसाद पुत्रान कल्याण लाल शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी छतपाडा करौली तहसील व जिला करौली

——वादी

बनाम

1. रतन पुत्र मुकन्दी आयु 60 साल
2. बुधराम पुत्र मुकन्दी आयु 55 साल
3. दौजी पुत्र मुकन्दी आयु 50 साल (फौत)
4. शिवचरण पुत्र देवीराम आयु 35 साल
5. सन्नू पुत्र देवीराम आयु 30 साल
6. मनोहरी पुत्र देवीराम आयु 28 साल
7. राधेश्याम पुत्र रतन आयु 28 साल
8. बृजेन्दर पुत्र रतन आयु 25 साल
9. बन्तु पुत्र बुधराम आयु 22 साल
10. सीताराम पुत्र रतन आयु 22 साल
11. शिवकुमार पुत्र बुधराम आयु 25 साल
12. सोमोती पत्नि दौजी आयु 50 साल
13. किसनवाई पत्नि देवीराम आयु 55 साल
14. रेशम पत्नि रतन आयु 40 साल
15. केशन्ती पत्नि बुधराम आयु 40 साल

जाति जाटव निवासीयान मांची तहसील व जला करौली

——प्रतिवादीगण

दावा बाबत 188 आर टी एक्ट

—::**निर्णय**::— दिनांक:— 29/12/25

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj Meena
Date: 2026.05.01 13:02:17 IST
Reason: SelfAttested

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस [illegible] है कि वादी के ग्राम कस्बा करौली ।ए। आराजी खसरा नम्बर 1981 [illegible] कुल किता 3 कुल रकवा 10 वीघा 13 विस्वा की वादी की खातेदारी [illegible] कब्जे काश्त की स्थित है। नकल जमाबदी सम्वत 2064—67 पेश है। [illegible]तिवादीगण ठाकुर जी जो परप्यूअल माईनर है। उनकी जमीन को हडपना चाहते है और ठाकुर जी की ओर से वादी के कब्जे काश्त में रूकावट पैदा करते हैं। और नाजायज तौर

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

Scanned with OKEN Scanner

से धमकी देते है कि हम तो तुम्हें बेदखल करेंगे और शांति काबिज नही रहने देतें। वादी की ओर से बाजरा व तिली की फसल बोई हुई है। जो नीदनी लायक हो रही है। प्रतिवादी ने कल दिनांक 11.7.11 को फसल को लौटने की धमकी दी है। इसलिये वादी प्रतिवादीगण को जरिये हुक्म इम्तनाई दवामी से पाबन्द कराने के अधिकारी है कि वे इस जमीन पर स्वयं या अन्य किसी से मदाखलत न करे न करवाये व वादी को शांति पूर्वक काबिज रहने दे व किसी प्रकार से वादी के कब्जे में उपयोग्य में अडचन नही डाले। विनाय मुखासमत दिनांक 11.7.11 को प्रतिवादीगण द्वारा मदाखलत की धमकी देने पर अंदर हदूद अदालत हाजा पैदा हुई। प्रतिवादीगण को जरिये हुक्म इम्तनाई दवामी से पाबन्द किया जावे कि वे वाद पत्र में वर्णित जमीन खसरा नम्बरान 1981, 1991, 1992 कस्बा करौली पर किसी प्रकार से वादी के कब्जे काश्त में रूकावट न डाले, मदाखलत नहीं करे, व खर्चा मुकदमा व अन्य दीगर दादरसी जो करीने इन्साफ हो अता फरमाई जावें। अंत दावा वादीगण डिक्री किये जाने का निवेदन किया है।

दावा वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी नंबर 3 का दिनांक 16.7.15 को व प्रतिवादी नंबर 12 का दिनांक 24.7.2025 को नाम हजफ किया गया व प्रतिवादी नंबर 7, 10, 13, 14 बावजूद तामील उपस्थित नहीं आने पर इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई एवं प्रतिवादी नंबर 1, 2, 4, 5, 6, 8, 11, 15 का दिनांक 24.7.2025 को जबाव प्रस्तुत नहीं करने पर जबाव बंद किया गया।

वादी की मौखिक साक्ष्य में वादी नरेन्द्र व गवाह गजानंद के बयान लेख बद्व किये गये एवं दस्तावेजी सबूत में नकल जमाबंदी संवत 2064–67 प्रदर्श–1 पेश की है। साक्ष्य वादी बंद की गई।

प्रतिवादीगण द्वारा साक्ष्य पेश नहीं करने पर दिनांक 18.12.2025 को साक्ष्य प्रतिवादी बंद की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj Meena
Date: 2026.05.01 13:02:17 IST
Reason: SelfAttested

बहस वकील सुनी गई। पत्रावली का [illegible]लोक[illegible]या गया।

वकील वादी का [illegible] करौली ।ए। आराजी खसरा नम्बर 1981, 1991, 1992 कुल [illegible] किता रकवा 10 वीघा 13 विस्वा की वादी की खातेदारी व कब्जे काश्त की स्थित है। नकल जमाबदी सम्वत 2064–67 पेश है। प्रतिवादीगण ठाकुर जी जो परप्यूअल माईनर है।

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

उनकी जमीन को हडपना चाहते है और ठाकुर जी की ओर से वादी के कब्जे काश्त में रूकावट पैदा करते हैं और नाजायज तौर से धमकी देते है कि हम तो तुम्हें बेदखल करेंगे और शांति काबिज नही रहने देतें। वादी की ओर से बाजरा व तिली की फसल बोई हुई है। जो नीदनी लायक हो रही है। प्रतिवादी ने कल दिनांक 11.7.11 को फसल को लौटने की धमकी दी है। इसलिये वादी प्रतिवादीगण को जरिये हुक्म इम्तनाई दवामी से पाबन्द कराने के अधिकारी है कि वे इस जमीन पर स्वयं या अन्य किसी से मदाखलत न करे न करवाये व वादी को शांति पूर्वक काबिज रहने दे व किसी प्रकार से वादी के कब्जे में उपयोग्य में अडचन नही डाले। दावा वादी डिक्री किया जावे।

बहस वकील वादी का मनन किया गया। वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 1981, 1991, 1992 कुल किता 3 कुल रकबा 10 वीघा 13 बिस्वा वांके कस्बा करौली (ए) तहसील व जिला करौली प्रदर्श–1 जमाबंदी संवत 2064–67 से वादी की खातेदारी व कब्जे की होना साबित है। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः दावा वादी विरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वह आराजी खसरा नंबर 1981, 1991, 1992 कुल किता 3 कुल रकबा 10 वीघा 13 बिस्वा वांके कस्बा करौली पटवार हल्का नंबर–8 तहसील व जिला करौली में वादी के कब्जे काश्त में रूकावट नहीं डाले व मदाखलत नहीं करें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 29/12/25 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(प्रेमराज मीना)
उपखण्ड अधिकारी,
करौली

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj Meena
Date: 2026.05.01 13:02:17 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner